प्रैस रिलीज

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

08 अगस्त,2022

भारतीय रेलवे में अपशिष्ट प्रबंधन पर प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत

"भारतीय रेलवे में अपशिष्ट प्रबंधन" पर केंद्र सरकार (रेलवे) पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की 2022 की ऑडिट रिपोर्ट संख्या 16 आज संसद के पटल पर रखी गई। यह रिपोर्ट "भारतीय रेलवे में अपशिष्ट प्रबंधन" पर लेखापरीक्षा के परिणाम प्रस्तुत करती है और स्टेशनों पर अपशिष्ट प्रबंधन, कोचिंग डिपो, रखरखाव और उत्पादन इकाइयों, अस्पतालों में उत्पन्न जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के पहलुओं को शामिल करती है। रिपोर्ट में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के विशिष्ट निर्देशों का पालन भी शामिल है।

प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष इस प्रकार हैं: :-

अपशिष्ट प्रबंधन और उसके लिए निधि आवंटन की भूमिका और जिम्मेदारी

भारतीय रेल में कोई एक निकाय/एजेंसी नहीं है जो भारतीय रेल में अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित मुद्दों को संभालने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। साथ ही, विशेष रूप से अपशिष्ट प्रबंधन के लिए समर्पित निधि आवंटन की कोई व्यवस्था नहीं थी।

(पैरा 1.2 - पृष्ठ 2 और पैरा 2.1.1- पृष्ठ 6)

सांविधिक निकायों के निर्देशों का अनुपालन

- क्षेत्रीय और मंडल स्तर पर इंजीनियरिंग और स्वास्थ्य प्रबंधन निदेशालय स्थापित करने के लिए पीएसी को आश्वासन के बावजूद, भारतीय रेल द्वारा अनुपालन आंशिक था। नमूना जाँच किए गए 38.60 प्रतिशत स्टेशनों में रेलवे स्टेशनों, मंडलों और जोनल स्तर पर जवाबदेह संस्थाओं का गठन नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा के लिए चयनित 109 में से 59 स्टेशनों में, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) से स्थापना की सहमति (सीटीई) प्राप्त करने के लिए एनजीटी के निर्देशों का पालन नहीं किया गया था (31 जुलाई 2021 तक)।

  (पैरा 2.1- पृष्ठ 5, पैरा 2.2- पृष्ठ 7 और पैरा 2.4- पृष्ठ 9)

- आईआर 36 प्रमुख स्टेशनों पर अपशिष्ट प्रबंधन की निगरानी के लिए 24 सत्यापन योग्य संकेतकों को लागू करने के लिए एनजीटी के निर्देशों का पूरी तरह से पालन करने में विफल रहा। चुने गए 65 अन्य प्रमुख स्टेशनों में सत्यापन योग्य संकेतकों के कार्यान्वयन पर प्रगति उत्साहजनक नहीं थी।

  (पैरा 2.5- पृष्ठ 10 और पैरा 2.6- पृष्ठ 12)

OBHS . के साथ पेंट्री कारों और ट्रेनों से एकत्रित कचरे का प्रबंधन

- ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग सर्विसेज (ओबीएचएस) के साथ पेंट्री कारों और ट्रेनों से एकत्र किए गए अलग-अलग कचरे को 45 प्रतिशत नमूना जांच किए गए स्टेशनों में सुरक्षित बैग में नहीं उतारा गया था। 86 प्रतिशत नमूना जांच किए गए स्टेशनों में, पेंट्री कारों या ओबीएचएस ट्रेनों से एकत्र किए गए कचरे को अलग-अलग कूड़ेदानों में नहीं डाला गया था।

(पैरा 2.9-पृष्ठ 15)

प्लास्टिक और ठोस कचरे के प्रबंधन में दोषपूर्ण प्रणाली

- • नमूना जांच किए गए 65 प्रतिशत स्टेशनों और 87 प्रतिशत नमूना जांच किए गए कोचिंग डिपो में भारतीय रेल ने उत्पन्न प्लास्टिक कचरे की मात्रा का आकलन नहीं किया। इसके अलावा, भारतीय रेल योजना के अनुसार प्लास्टिक बोतल क्रशिंग मशीन (पीबीसीएम) की स्थापना सुनिश्चित नहीं कर सका और केवल 90 स्टेशनों और 25 कोचिंग डिपो में 'प्लास्टिक ओनली बिन' उपलब्ध नहीं कराया गया था।

(पैरा 2.10-पृष्ठ 20)

- • बायो-डिग्रेडेबल और नॉन-बायो-ग्रेडेबल कचरे को अलग करने की मूल शर्त सुनिश्चित नहीं की गई थी। ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन की सुविधाएं जैसे गीला कचरा प्रसंस्करण, सामग्री वसूली सुविधा, कंपोस्टिंग प्लांट का प्रावधान, अपशिष्ट पृथक्करण और पुनर्चक्रण केंद्रों के 70 प्रतिशत स्टेशनों और 90 प्रतिशत कोचिंग यार्डों को लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया था।

(पैरा 2.11.2-पृष्ठ 20)

औद्योगिक और खतरनाक कचरे का प्रबंधन

102 इकाइयों (चयनित 131 में से) में खतरनाक कचरे के भंडारण और लेबलिंग के लिए निर्धारित नियमों का पालन न करना पर्यावरण और इन इकाइयों में लगे लोगों के लिए एक संभावित खतरा बना रहा।.

(पैरा 3.5- पृष्ठ 25)

अपशिष्ट जल प्रबंधन से संबंधित मुद्दों पर प्रगति

बहिःस्राव उपचार संयंत्र/सीवेज उपचार संयंत्र (ईटीपी/एसटीपी), हालांकि 19 प्रमुख कोचिंग डिपो और 40 कार्यशालाओं में चालू करने की योजना बनाई गई थी, मार्च 2020 तक चालू नहीं किए गए थे। जल पुनर्चक्रण संयंत्र और स्वचालित कोच वाशिंग संयंत्र प्रदान करने में धीमी प्रगति ने परिकल्पित उद्देश्यों को विफल कर दिया। भारतीय रेल जल नीति, 2017 में.

(पैरा 4.1- पृष्ठ 29, पैरा 4.3- पृष्ठ 31 और पैरा 4.4- पृष्ठ 32)

दोषपूर्ण जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली

भारतीय रेल नमूना जांच किए गए 64 प्रतिशत अस्पतालों में जैव चिकित्सा अपशिष्ट के भंडारण के लिए जैव चिकित्सा अपशिष्ट नियमों के संदर्भ में सुरक्षित कमरे का प्रावधान सुनिश्चित करने में विफल रहा। इसके अलावा, जैव चिकित्सा अपशिष्ट के उपचार के लिए आवश्यक उपकरणों के

अभाव में, 15 अस्पतालों ने विभागीय रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा को खतरे में डालते हुए अपशिष्ट निपटान का प्रबंधन किया।

(पैरा 5.3 पृष्ठ 36 और पैरा 5.11- पृष्ठ 42)

BSC/SS/TT/55-22